HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 371/2026
URN: SOSA / 755U / 2026

In

S.B. Criminal Appeal No-419/2026

Hansraj S/o Jagdish Prasad, Aged About 32 Years, Old Residence Of Bhaglai, Police Station Sadar, Distt. Dausa (Appellant Is In District Jail Dausa)

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री अली मोहम्मद खान
For Respondent(s)	:	श्री गौरव गुप्ता, लोक अभियोजक मय
		श्री नवदीप सिंह

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

13-07-2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय **विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण, (सेशन न्यायाधीश) दौसा जिला दौसा** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**50/2024, सरकार बनाम हंसराज वगैरह** में पारित निर्णय व दंडादेश क्रमशः दिनांक **11.02.2026 व 12.02.2026** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम दस वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान जमानत पर रहा है तत्पश्चात् वह दण्डादेश की दिनांक 12.02.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है । साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है । अपीलार्थी के कब्जे से 36.92 ग्राम स्मैक बरामद होना बताया गया है जबकि मादक पदार्थ स्मैक की वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम है । प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा जाहिर किया कि अपीलार्थी हंसराज के विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है ।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **12.08.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **हंसराज पुत्र जगदीश प्रसाद** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/108